भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1218
गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2024/14 अग्रहायण, 1946 (शक)

युवाओं में बेरोजगारी में वृद्धि

1218. श्री नारायण दास गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में यह दर्शाया है कि कि वर्ष 2023-24 के दौरान महिला और पुरुष दोनों के लिए श्रम बल भागीदारी दर सात साल के उच्चतम स्तर पर रही है;

(ख) युवा बेरोजगारी में इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षो के दौरान सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 2023-24 में 78.8% हो गई है। इसके साथ-साथ, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए एलएफपीआर 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है। ये आंकड़े पिछले 7 वर्षों (2017-18 से 2023-24) में पुरुषों और महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं।

इसके साथ-साथ, युवा बेरोजगारी भी गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह स्पष्ट है कि पीएलएफएस डेटा जो दर्शाता है कि सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है और इसी अवधि के दौरान 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए रोजगार को दर्शाने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 31.5% से बढ़कर 41.7% हो गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि कार्यान्वित कर रहे हैं जिनके तहत रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे को https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

*****